Amount earmarked for Tiger Projects in Sixth Plan

4706. SHRI HARIHAR SOREN: Will the Minister of AGRICULTURE be pleased to state :

(a) the amount earmarked in the Sixth Plan towards the maintenance of tiger projects started in different parts of the country ;

(b) the number and the strength of the tigers in each of those tiger projects ; and

(c) the details thereof ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRIES OF AGRICULTURE AND RURAL DEVELOPMENT (SHRI R. V. SWAMINATHAN) : (a) An amount of Rs. 10.00 crores has been earmarked for Project Tiger Scheme in the Sixth Five Year Plan, to be shared equally by the Central and the State Governments concerned.

(b) and (c). As per information collected from different tiger reserves, there are 757 tigers in the eleven Tiger Reserves covered by Project Tiger. The reserve-wise figures are as follows :—

Kanha Tiger Reserve	83
Corbett Tiger Reserve	89
Similipal Tiger Reserve	65*
Ranthambhore Tiger Reserve	33
Melghat Tiger Reserve	68
Bandipur Tiger Reserve	43
Sariska Tiger Reserve	20
Sunderbans Tiger Reserve	205*
Manas Tiger Reserve	69
Periyar Tiger Reserve	35
Palamau Tiger Reserve	47**
Total	757

* The figures are for 1979 as no census has been carried out since then.

** The figures are for 1980 and have been arrived at after making projections from a track-census done in Palamau in 1980.

सलाहकार समितियों में संसद सदस्यों को मनोनीत करना

4707. **श्री रामावतार शास्त्री** : क्या संसदीय कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या टेलीफोन सलाहकार समितियों, डाक-तार सलाहकार समितियों, रेलवे की विभिन्न समितियों तथा अन्य विभागों की समितियों में संसद सदस्य को मनोनीत किया जाता है ;

(ख) यदि हां, तो मनोनयन का मापदण्ड क्या है ?

(ग) क्या यह सच है कि कुछ संसद सदस्यों को इस संबंध में उनकी स्वीकृति प्राप्त करने पर भी उन्हें समितियों के लिये मनोनीत नहीं किया गया है ;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ; और

(ङ) भिन्न समितियों में मनोनीत किये गये संसद सदस्यों का ब्योरा क्या है और ये कौन से दलों से संबंधित हैं ?

संसदीय कार्य तथा निर्माण और आवास मंत्री (श्री भीष्म नारायण सिंह) : (क) जी, हां ।

(ख) विभिन्न अन्य बातों से पृथक, संसद सदस्यों का मनोनयन संसद के दोनों सदनों के प्रतिनिधित्व, समितियों द्वारा किए जाने वाले कार्य की अपेक्षाएं जैसे कि कुछ विधि, सामाजिक और शैक्षणिक पृष्ठभूमि का सम्यक ध्यान रखते हुए किया जाता है । जहां समितियाँ क्षेत्रीय या स्थानीय हित से सम्बन्धित होती है, साम-